न्यायालय—नेहा प्रजापति, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जिला—खण्डवा (म.प्र.)

Registration No.	**MJCR - 1296/2026**
Filling No.	**4878/2026**
CNR No.	**MP1201-005771-2026**
Filing Date	**12-08-2026**

मध्य प्रदेश राज्य, द्वारा आरक्षी केन्द्र मोघटरोड़
जिला—खण्डवा (म.प्र.)

.... **अभियोजन**

:: **विरूद्ध** ::

1. मुन्ना उर्फ नासिर पिता कॉले खां आयु 55 वर्ष, निवासी मूंदीपूरा खण्डवा, थाना मोघटरोड़ जिला खण्डवा (म.प्र.)

...................**अभियुक्त**

....

12/08/2026 थाना मोघट रोड़ के अपराध क्रमांक 51/1994 में **आरोपी नासीर उर्फ मुन्ना** के विरूद्ध बंधपत्र राशि वसूली हेतु धारा 491 बी.एन.एस.एस. 2023 के अंतर्गत कार्यवाही किये जाने हेतु आदेश पारित किया गया है। तदनुसार उक्त अभियुक्त के विरूद्ध आज विविध दांडिक कार्यवाही पंजीबद्ध किया जावे। मूल प्रकरण से संबंधित बंधपत्र प्रपत्र निकालकर इस विविध कार्यवाही में संलग्न किया जावे।

अभियुक्त दिनांक 28/02/1994 को न्यायालय में अनुपस्थित हो जाने के कारण आरोपी के जमानत मुचलके जप्त कर आरोपी के विरूद्ध स्थाई गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप आरोपी से 2000/— शब्दों में (दो हजार रूपये) मुचलका राशि की वसूली हेतु 1296/2026 के आरोपी के विरूद्ध पंजीबद्ध किया गया।

इस न्यायालय के उक्त आदेश के क्रम में आरोपी से मुचलका राशि की वसूली बाबत आरोपी को कारण बताओ नोटिस जारी किया जावे कि क्यों न आपसे मुचलका राशि वसूल की जाये।

प्रकरण आरोपी से मुचलका राशि वसूली बावत एवं कारण बताओ नोटिस के जवाब पश्चात् राशि वसूली हेतु कुछ पश्चात् पेश हो।

नेहा प्रजापति
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खण्डवा

पुनश्च—

राज्य द्वारा ए.डी.पी.ओ.।

आरोपी स्वयं न्यायालय में उपस्थित है उसे कारण बताओ नोटिस की प्रति दी गयी। आरोपी ने सूचना पत्र के मौखिक जवाब में व्यक्त किया कि अभियुक्त को पेशी तारीख की जानकारी नहीं होने से वह पेशी पर उपस्थित नहीं हो पाया था। उसकी आर्थिक स्थिति खराब है अतः उससे कम से कम मुचलका राशि जप्त की जाये।

आरोपी की शपथ पर साक्ष्य अंकित की गई। बचाव में कोई साक्ष्य ना देना व्यक्त किया।

प्रस्तुत साक्ष्य एवं प्रकरण का अवलोकन किया गया।

आरोपी के कथन व प्रकरण के अवलोकन उपरांत आरोपी के मुचलके की संपूर्ण राशि जप्त किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता। आरोपी 18 बार अनुपस्थित रहा है। अतः आरोपी के मुचलके राशि में से दो सौ रूपये/— राशि जप्त की जाती है एवं शेष राशि माफ की जाती है।

प्रकरण की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

प्रकरण का परिणाम सी.आई.एस. साफ्टवेयर में दर्ज कर सी.आई.एस. में हस्ताक्षर सहित अपलोड किया जावे।

प्रकरण अभिलेखागार जमा हो।

नेहा प्रजापति
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खण्डवा

पुनश्च—

आदेशानुसार अभियुक्त की ओर से मुचलका की जप्त राशि 200/— रूपये ऑनलाईन माध्यम से चालान क्रमांक 15235 पर जमा कर रसीद न्यायालय में प्रस्तुत की गयी, उक्त रसीद प्रवर्तन लिपिक द्वारा ऑनलाईन वेरीफाई की गयी। उक्त रसीद की प्रति प्रकरण में संलग्न की गयी।

नेहा प्रजापति
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खण्डवा

NEHA PRAJAPATI Digitally signed by NEHA PRAJAPATI